



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 2005/ज्येष्ठ 30, 1927

No. 273]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 2005/JYAISTHA 30, 1927

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(रसायन और पेट्रोसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2005

सा.का.नि. 413(अ).—भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों पर कारंवाई) आंधानियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा द्वारा आयुक्त, भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के पीड़ितों का कल्याण नामक पद की समधिकारी प्रभार-धारिता अवधि को 29-3-2005 से एक वर्ष अथवा अगले आदेशों तक, इन दोनों में जो भी पहले हो, तब तक के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. 21/21/2002-भो. सैल]

मुकेश कक्कर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS  
(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2005

G.S.R. 413(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby extends the tenure of Justice Shri Deepak Verma, a sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a period of one year with effect from 29-3-2005 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 21/21/2002-B. Cell]

MUKESH KACKER, Jt. Secy.